

कार्यालय नगरपालिका श्रीमाधोपुर जिला सीकर

क्रमांक:नपाश्रीमा / 2025-26 / 2962

दिनांक : 16/03/2026

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रुडमल, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर,
श्री कालूराम जाट पुत्र श्री गोपालराम, वार्ड नं. 04 जालपाली श्रीमाधोपुर,
श्री गोकुलचंद कुडी पुत्र श्री बंशीधर कुडी, केरपुरा तहसील खण्डेला,
श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रुडमल भारणी तह0 श्रीमाधोपुर,
श्री प्रहलाद कुमार वर्मा पुत्र श्री शिवपाल वर्मा, सौंथलिया बावड़ी, तहसील खण्डेला जिला सीकर

विषय :- राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा नंबर 2922/2799 रकबा 0.6945 हैक्टेयर तथा
खसरा नंबर 2926/2801 रकबा 1.1580 हैक्टेयर भूमि के आवासीय योजना के
अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
में स्थित भूमि खसरा नंबर 2922/2799 रकबा 0.6945 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2926/2801 रकबा 1.1580
हैक्टेयर भूमि को आवासीय योजना में अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने पर आपको टाउनशिप पॉलिसी
2024 की पालना सुनिश्चित करते हुये निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय योजना विकसित किये जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. रेरा (RERA) पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्र अनुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देखरेख में विकसित की जावे।
3. समस्त विकास टाउनशिप पॉलिसी-2024 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही किये जाने होंगे नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार 2.00 हैक्टेयर तक की योजना के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों हेतु निर्धारित है।
5. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजना स्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
6. भूखण्डों का सीमांकन किया जाकर भूखण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
7. योजना में वृक्षारोपण प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार किया जाना होगा।
8. आन्तरिक विकास कार्यों हेतु 10 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10) भूखण्डों का पालिका के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 6 वर्ष तक रखरखाव किया जाना होगा।
10. द्यूबवैल/पाईपलाईन को नियमानुसार पीएचईडी को हस्तांतरित किया जाना होगा।
11. योजना में विधुतीकरण कार्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी नियमों के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 को हस्तांतरित किया जाना होगा।
12. योजना क्षेत्र में सिवरेज/ओवर हैड टैंक/सड़क/स्टोर्म ड्रेनेज की व्यवस्था मापदण्ड अनुसार करनी होगी।

संलग्न : अनुमोदित योजना मानचित्र।

अधिसूचना अधिकारी
अधियासिका श्रीमाधोपुर
नगरपालिका श्रीमाधोपुर